अपील संख्या : 54/2019 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2019/00151

अनवानः जयचंद उर्फ जयदेव पुत्र स्व. श्री रैमलदास जाति अरोड़ा निवासी सेक्टर नं. 46 सी, चण्डीगढ़।(मृतक)
1. राजकुमारी पत्नि स्व. जयचन्द
2. योगेश पुत्र स्व. जयचन्द

बनाम

1. करतार सिंह पुत्र श्री गुरदित्ता सिंह जाति रायसिख निवासी चक 43 पीएस तहसील रायसिंहनगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.09.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 19.02.2020 पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट श्री सुरेश मोहता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधार पर अपीलांट जयचन्द के स्वर्गवास दिनांक 30.07.2015 को हो जाने पर उनके जायज वारिसान को अपील हाजा में आवश्यक पक्षकार बनाने का निवेदन किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपीलांट मृतक जयचन्द के निम्नलिखित जायज वारिसान :— 1. राजकुमारी पत्नि स्व. जयचन्द 2. योगेश पुत्र स्व. जयचन्द निवासीगण मकान नं. 3596 सेक्टर 46 सी, चण्डीगढ़ हाल निवासी मकान नं. 2/15 नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर। को बतौर अपीलांट पक्षकार संयोजित करने का आदेश प्रदान किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट श्री सुरेश मोहता ने उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र दिनांक 08.09.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी अपनी अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं अपील विड्रा करना चाहते है। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानरग के निर्णय दिनांक 18.06.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विड्रा करना चाहते है। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2022 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट जरिये विड्रावल (Withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त बीकानेर	